खंड ५ संख्या ५

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग २—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

मंगलवार, तिथि २१ मई, १९६८

सत्यमेव जयते

बी एस० एच० चटर्जी, अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
द्वारा सचिवालय शाखा मुद्रणालय, बिहार, पटना में मुद्रित
१९६९

[मूल्य—३७ पैसे]

GOVERNMENT OF BIHAR
C
1969

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग २—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

मंगलवार, तिथि २१ मई, १९६८

विषय-सूची

	पृष्ठ
कार्य-स्थगन प्रस्ताव :	
अवरुद्ध मजदूरों की समस्यायें (अस्वीकृत) ..	१—३
अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण :	
डिहरी के कुछ छात्रों द्वारा औरतों के साथ छेड़खानी ..	४
ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य :	
बिहार जर्नल्स लि० द्वारा वेतन बोर्ड की सिफारिशों को लागू किया जाना।	४—७
आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद :	
१९६८-६९ वर्ष के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद ..	७—३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा :	
(क) बिहार में विद्युत आपूर्ति की दुर्व्यवस्था ..	३६—५२
(ख) श्री शशिनाथ झा, स० वि० स० को किशनगंज थाना के दारोगा द्वारा जान से मार डालने का प्रयास।	५२—५४
दैनिक निबंध	५५-५६

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है।

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

मंगलवार, तिथि २१ मई, १९६८

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में मंगलवार, तिथि २१ मई, १९६८ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री धनिक लाल मंडल के सभापतित्व में प्रारंभ हुआ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव :

अबरख मजदूरों की समस्यायें (अस्वीकृत)

अध्यक्ष—आज के लिए दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं। नियम यह है कि जब आम बहस हो रही हो तो माननीय सदस्यगण उसके सम्बन्ध में अपनी बातों को कह सकते हैं। इसलिए मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता हूं।

*श्री विश्वनाथ मोदी—अध्यक्ष महोदय, इसमें ५०,००० अबरख मजदूरों का सवाल है। पिछली सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि निश्चित तौर पर एक महीने के भीतर कार्रवाई की जायगी। वहां हड़ताल हुई थी और इसके बाद आश्वासन दिया गया था। उसके बाद मंत्रियों ने कम-से-कम एक दर्जन बार आश्वासन दिया और पिछले मुख्य मंत्री श्री महामाया प्रसाद सिंह, श्री रामानन्द तिवारी, श्री भोला सिंह, श्री कर्पूरी ठाकुर तथा भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री विन्देश्वरी प्रसाद मंडल और बाद में वर्त्तमान मुख्य मंत्री श्री भोला पासवान शास्त्री ने भी आश्वासन दिया था कि जो १८ मई, १९६८ को बीत गया। इसमें ५०,००० मजदूरों का सवाल है। इलाका जंगली है, वहां पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता है। ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पर कार्य-स्थगन मंजूर नहीं किया जायगा, यह उचित नहीं है।

अध्यक्ष—कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर निश्चित रूलिंग है। यह व्यवस्था है पहले की जिससे कि मैं सहमत हूं। वह यह है कि जब आम बहस चल रही हो, सदन में बजट पर डिसकसन चल रहा हो, तो आप उसमें अपनी बातों को कह सकते हैं। अतः ऐसे समय में मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं लेना चाहता हूं। कार्य-स्थगन इसलिये लिया जाता है कि अभी जो समय है उसमें दूसरे विषय पर बहस कर सकते हैं। अभी तो माननीय सदस्य अपनी बातों को जेनरल डिबेट के अवसर पर कह सकते हैं। इसलिये इसे मैं अमान्य करता हूं।

श्री विश्वनाथ मोदी—अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मेरे पास कोई चारा नहीं है, सिवा इसके कि मैं अपनी बातों को सदन में सरकार के सामने रखूं।

अध्यक्ष—आप आसन ग्रहण करें। आप इतना एजिटेटेड क्यों होते हैं? कार्य-स्थगन में आप अपनी बातों को कह सकते हैं और इस समय भी आप उन्हीं बातों को कह सकते हैं। (आसन पर खड़े होकर) ऐंडजौर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में अपनी बातें जेनरल डिसकशन में भी कह सकते हैं। आप बैठ जायं।

श्री विश्वनाथ मोदी—मैं निवेदन कर रहा हूं, बोलने के लिए समय नहीं मिलता है।

(अध्यक्ष महोदय के बार-बार आग्रह करने पर भी माननीय सदस्य बराबर बोलते ही गए और सदन में काफी शोरगुल होने लगा।)

अध्यक्ष—माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री विश्वनाथ मोदी—बात यह है कि ५० हजार अबरख मजदूर हैं, जिनको मजदूरी नहीं मिल रही है। न सरकार इसको समझती है और न दूसरा कोई सुनता है, आखिर जायं कहां, हम तो यहां सरकार से काम करवाना चाहते हैं।

अध्यक्ष—सदन का समय जाया कर रहे हैं।

श्री विश्वनाथ मोदी—समय जाया करने का काम नहीं है, मैं चाहता हूं काम हो।

अध्यक्ष—आपकी बात सुन ली गई है।

श्री विश्वनाथ मोदी—उसपर काम भी होना चाहिए। हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते रहते हैं, आखिर हम यहां चेहरा दिखाने तो नहीं आये हैं।

अध्यक्ष—आपको बोलने का मौका दिया गया, आप बैठ जायं।

(अध्यक्ष के बार-बार कहने पर भी माननीय सदस्य ने अपना भाषण जारी रखा।)

अध्यक्ष—आपको आदेश होता है कि एक घंटे के लिए सदन से चले जायं।

श्री विश्वनाथ मोदी—एक घंटा क्या, बराबर के लिए बाहर जा सकता हूं। मैं साल भर से बार-बार इस सम्बन्ध में कहता आ रहा हूं, सारी प्रोसीडिंग्स इसके प्रमाण में हैं।

श्री केदार पाण्डे—मेरा कहना यह है कि अध्यक्ष महोदय का जो आदेश हुआ है, उसका पालन हो।

श्री कृष्णकान्त सिंह—अध्यक्ष महोदय, आपने एक आज्ञा दी, उस आज्ञा के मुतल्लिक कुछ कहना नहीं चाहता, उसका पालन तो होना ही चाहिए। लेकिन हुजूर के द्वारा सदन और अपने माननीय सदस्यों से एक अर्ज करना चाहता हूं कि यह बजट का समय है, इसमें रूल के हिसाब से भी कार्य-स्थगन का प्रस्ताव नहीं आ सकता है।

*श्री केदार पाण्डे—अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष की आज्ञा का पालन होना चाहिए।

(इस अवसर पर अनेक माननीय सदस्य एक साथ ही खड़े होकर बोलने लगे।)

उनको सदन छोड़ देना चाहिए। आज्ञा का पालन होना चाहिए, हमलोग इसमें आपका साथ देंगे।

(इस अवसर पर अनेक माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो गये और कहने लगे कि अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश का पालन नहीं हो रहा है।)

अध्यक्ष—माननीय सदस्य आप सदन से एक घंटे के लिये बाहर चले जायं। यदि आप इस तरह की कारंवाई जारी रखेंगे तो कड़ी-से-कड़ी कारंवाई करनी पड़ेगी। अतः आप कृपा कर सदन से बाहर चले जायं।

(इस अवसर पर सदन में काफी शोरगुल होने लगा।)

श्री विश्वनाथ मोदी—अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही धैर्य रखा है। जो आश्वासन दिया गया है, उसका मैं कार्यान्वयन चाहता हूं।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य आपका व्यवहार अमर्यादित हो रहा है। आप सदन की कार्यवाही में बाधा दे रहे हैं। इसलिये सदन छोड़कर चले जायें।

(माननीय सदस्य श्री विश्वनाथ मोदी सदन छोड़कर बाहर चले गये।)

*श्री रामराज प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, आपने जो हमारे महत्वपूर्ण विषय को मंजूर किया है उसके पहले मैं कहना चाहता हूं कि आज मुझे सदन की स्थिति को देखकर बहुत ही दुःख हुआ कि सदन में इस तरह होता रहे और हमलोग बैठकर देखते रहें।

अध्यक्ष—आप अपनी बातें कहें।